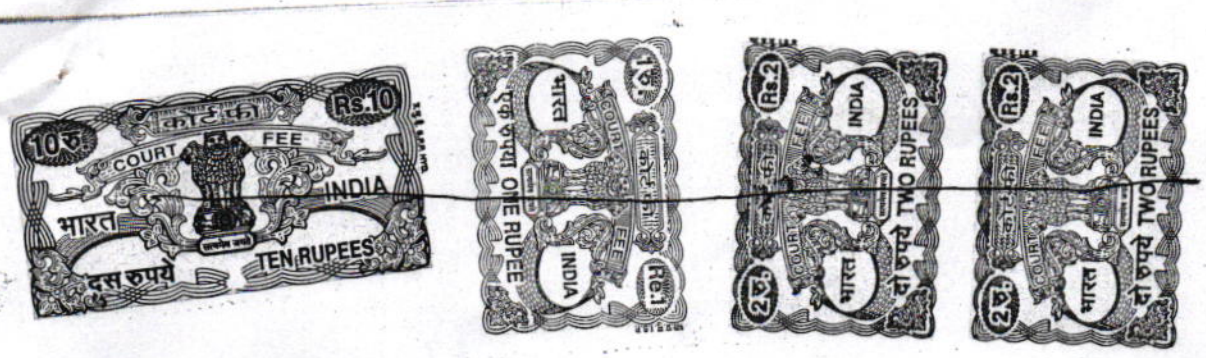

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरावलोकन रिव्यू 2937-III/14

प्रवीण कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल गोयल
निवासी सदर बाजार, शिवपुरी म.प्र.

विरूद्ध

1. गोपाल दत्त पुत्र केशवदत्त धोलाखण्डी
2. रामदत्त पुत्र केशवदत्त धोलाखण्डी मृत
   विधिक वारिसान श्रीमती मीनाक्षी उर्फ
   मीनू पत्नी रामदत्त धोलाखण्डी
   निवासी मकान नं.419/10 सेक्टर 16
   बसुन्धरा गाजियाबाद, उ.प्र.
3. हेमदत्त पुत्र केशवदत्त धोलाखण्डी
4. मु.कमलाबाई पुत्री केशवदत्त
5. मु.मोहनीदेवी पुत्री केशवदत्त
   निवासीगण ग्राम ककरवाया तह.
   शिवपुरी जिला–शिवपुरी म.प्र.

दिनांक 5-9-14 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत/
अभि0 द्वारा प्रस्तुत
3-9-14
S O

निगरानी प्रकरण क्रमांक 93 पीबीआर 2002 में सदस्य श्री अशोक शिवहरे द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–2014 के विरूद्ध पुनरावलोकन आवेदन अंतर्गत धारा–51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

05/09/2014

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, माननीय न्यायालय के आदेश में ऐसी गम्भीर प्रत्यक्ष त्रुटि हुयी है जो आदेश को पढ़ने मात्र से ही दृष्टिगत होती है पुनरावलोकन का आधार निर्मित करती है.

2. यह कि, माननीय न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह विवादित था कि क्या अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा–121 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर किसी भूमि स्वामी की भूमि पर आधिपत्य की प्रविष्टि की जा सकती है अथवा नहीं माननीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर अपने आदेश में कोई विचार नहीं किया गया है और न ही कोई निर्णय पारित किया गया है इस कारण से माननीय न्यायालय का आदेश पुनरावलोकन में लिया जाकर निरस्त किये जाने योग्य है.

[illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2937–तीन/14 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.8.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 93–दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 14.06.14 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन, प्रकरण कमांक 2937–तीन/14 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 93–अध्यक्ष/02 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.06.14 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 2937–तीन/14 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य